सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 12, शुक्रवार, शाके 1943-दिसम्बर 03, 2021

Agrahayana 12, Friday , Saka 1943- December 03, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 01, 2019

संख्या प.2(26)वन/2019 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उनके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा अथवा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार के लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर /असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेंटऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है, तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली से किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उनसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का

कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा बिस्वा में)	रकबा (हैक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पांसल	भीलवाडा	भीलवाडा	उत्तर- आराजी न0 166	पांसल	167/1	65-02	
				पूर्व -आराजी न. 167		182	30-07	
				दक्षिण- सीमा ग्राम पुर		187	1-04	
				पश्चिम -आराजी न॰ 181		188	100-00	
						188/1	11-10	
						190	37-02	
						4489/180	1-02	
						किता-7	246-07	62.31

ज्ञानचंद,
उप वन संरक्षक,
भीलवाड़ा।

वनखण्ड पांसल

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

क्र.सं.	**वानस्पतिक नाम**	**हिन्दी नाम**
1	*Acacia Leucophloea*	रोंझ
2	*Acacia nilotica*	देशी बबूल
3	*Azadirachtaindica.*	नीम
4	*Dalbergiasissoo, Roxb*	शीशम

5	*Zizyphusnummularia*	झड़ बेरी
6	*ProsopisJuliflora*	विलायती बबूल

क्षेत्रीय वन अधिकारी
भीलवाड़ा (राज॰)

ज्ञानचंद,
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

वनखण्ड - पांसल
रेंज - भीलवाड़ा
वन मंडल - भीलवाडा

1॰ संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः बंजड़/गैर मुमकिन मगरी है । जिसे विज्ञप्ति के कॉलम7 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।

2॰ वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में बिलानाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकासकार्य करवाया गया है/कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिये जिला कलेक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है, तथा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3॰ वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में क्रमशः - प्लांटेशन एवं अन्य विकास कार्य वर्ष 1982 से 1983 में कराये गये है। इनमें कोई खनन् कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।

4॰ भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.2 से 0.3 है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों विलायती बबूल का लगभग प्रतिशत - क्रमशः है, तथा कुछ क्षेत्रों में घनत्व नगण्य है।

5॰ समीपवर्ती स्थित क्षेत्र (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) खातेदारी भूमि है, तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।

6॰ वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।

7॰ प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथाविधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है, किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रो के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमो के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है।

8॰ उक्त वन भूमि का पूर्व मे राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
भीलवाड़ा (राज॰)

ज्ञानचंद,
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।